राजस्व(ग्रूप-1) विभाग

कमांकःप.९(३३)राज. / ग्रूप-1 / 12

जयपुर, दिनांक 16-3-12

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरे को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेंत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

жочі	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि0 मी0 में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
		11	जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		9
1 -	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जैसलमेर/ फतेहगढ	देवीकोट्र	1485	8185 , 8630	फतेहसर	417	2149. 0554	8	6036 8076

नवीन राजस्व ग्रामों के गढन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतू उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, जैसलमेर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

DE13112

आज्ञा से

शासन उप सचिव